



## महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

[ Phone No. 07152-232669, Fax No. 07152-247602 ]

[ Website : [www.hindivishwa.org](http://www.hindivishwa.org) ]

### निविदा

Tender No. : MGAHV/CD/34/2021-22/06

Date : 01.12.2021

विश्वविद्यालय में टैंकर से जलापूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संदर्भ में निविदा की पूर्ण जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट [www.eprocure.gov.in](http://www.eprocure.gov.in) तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.hindivishwa.org](http://www.hindivishwa.org) पर उपलब्ध है।

कादर खान  
कुलसचिव  
01/12/21





# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : [www.hindivishwa.org](http://www.hindivishwa.org)

## पानी टैंकर हेतु निविदा के आवश्यक बिन्दु वित्तीय निविदा

| पानी टैंकर के प्रति ट्रिप की दर (₹) |                                                                                                                                |              |              |              |              |               |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| क्र.                                | टैंकर की क्षमता/दर                                                                                                             | 5000<br>लीटर | 6000<br>लीटर | 7000<br>लीटर | 8000<br>लीटर | 10000<br>लीटर | 15000<br>लीटर |
| 1.                                  | पानी सीधे भूमिगत टंकियों में डालने पर।                                                                                         |              |              |              |              |               |               |
| 2.                                  | पानी टैंकर की टंकी से छात्रावास/आवास की टंकियों पर चढ़ाने सहित (पानी चढ़ाने वाला मोटर टैंकर संचालक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)। |              |              |              |              |               |               |
| 3.                                  | पानी पौधों एवं क्यारियों में डालने पर                                                                                          |              |              |              |              |               |               |
| 4.                                  | दिन में (पूर्वाह्न 10 से सायं 6 के मध्य) पानी भरकर टैंकर खड़ा रखने पर (प्रति घंटा दर)।                                         |              |              |              |              |               |               |
| 5.                                  | रात में (सायंकाल 06 से पूर्वाह्न 10 बजे तक) पानी भरकर टैंकर खड़ा रखने पर (प्रति घंटा दर)।                                      |              |              |              |              |               |               |

1. पानी टैंकर की क्षमता के अनुसार पूरा भरा होना अनिवार्य है। विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान क्षमता से कम पानी होने पर पूरे टैंकर की राशि काटी जाएगी।
2. सफल निविदाकर्ता को कायदेशि जारी होने के 07 दिनों के अन्दर रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय से अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्म/व्यक्ति को काली सूची (Black List) में डाला जा सकता है।
3. उक्त के आलोक में प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए न्यूनतम दर देने वाली फर्म/व्यक्ति को कायदेशि प्रदान किया जा सकता है।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:.....

पता:.....





# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र),

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

## पानी टैकर हेतु निविदा के आवश्यक बिन्दु

### तकनीकी निविदा

विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर में लगे पौधों एवं लॉन की सिंचाई तथा आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों के लिए पानी आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का मूल्य रु. 500, मांग पत्र वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा के नाम देय होगा।

#### 1. निविदाकर्ता का संपूर्ण विवरण:-

|                        |  |
|------------------------|--|
| नाम                    |  |
| पिता का नाम            |  |
| मकान संख्या            |  |
| मुहल्ला                |  |
| तहसील                  |  |
| थाना                   |  |
| जिला/प्रदेश, पिन नम्बर |  |
| मोबाइल नम्बर           |  |
| ई-मेल                  |  |

#### 2. आधार क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)।

#### 3. PAN क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)।

#### 4. जी.एस.टी. क्रमांक (प्रमाणित प्रति संलग्न)।

#### 5. टैकर के संपूर्ण वैध एवं आवश्यक दस्तावेज।



#### 6. टैकर चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स (संलग्न)।

#### 7. निविदा शुक्ल रु. 500/-

(निविदा के साथ जमा करना होगा)

वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा महाराष्ट्र

#### 8. EMD राशि रु. 10,000/-

(निविदा के साथ जमा करना होगा)

वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा महाराष्ट्र

#### 9. Performance Security रु. 25,000/-

(सफल निविदाकर्ता को कायदेशि प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)

वित्ताधिकारी म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा महाराष्ट्र

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

नाम:.....

पता:.....

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र), भारत

Post Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442 001 (Maharashtra), INDIA

वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org, ई-मेल/E-mail : registrar@hindivishwa.org & campusdevelopment@hindivishwa.org



## पानी टैंकर हेतु निविदा की अन्य शर्तें

विश्वविद्यालय के उत्तरी एवं दक्षिणी परिसर में लगे पौधों एवं बगीचों/लॉनों को पानी देने के लिए टैंकर एवं एक श्रमिक टैंकर में लगी पाइप की सहायता से पौधों एवं लानों में पानी देने एवं अन्य कार्यों के लिए पानी की आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों पर निविदा आमंत्रित की जाती है:-

1. निविदाकर्ता के पास पानी का टैंकर, पानी के टैंकर को लाने एवं ले जाने हेतु वाहन एवं टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति हेतु नियमानुसार दस्तावेज एवं अनुमति होनी चाहिए।
2. निविदाकर्ता को उपर्युक्त संबंधित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, साथ ही निविदाकर्ता को स्वयं का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी. की साक्ष्यांकित छायाप्रतियाँ संलग्न करनी होगी।
3. पानी के टैंकर के साथ सम्बद्ध वाहन के वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. वाहन चालक एवं श्रमिकों के बीमा की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
5. पानी का टैंकर पूरा भरा होना अनिवार्य है।
6. बिल की भुगतान प्रक्रिया विश्वविद्यालय के दोनों द्वारों पर रजिस्टर में की गई इंट्री का मिलान (आने व जाने) किए जाने के उपरांत की जाएगी।
7. टैंकर से किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एवं देनदारी निविदाकर्ता की होगी।
8. पानी टैंकर के साथ एक श्रमिक टैंकर में लगी पाइप की सहायता से पौधों एवं लानों में पानी उपलब्ध कराएगा।
9. टैंकर एवं ट्रैक्टर के मरम्मत, फिटनेस एवं रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।
10. आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करते हुए निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबन्ध लिफाफे में होना अनिवार्य है।) में निम्नांकित पते पर कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के नाम से कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।
11. लिफाफे के ऊपर अपना संपूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर के साथ 'पानी टैंकर हेतु निविदा' लिखना अनिवार्य होगा।
12. निविदा दिनांक 01.12.2021 से दिनांक 21.12.2021 तक समय 5:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार्य की जाएगी।



13. निविदा दिनांक 22.12.2021 को अपराह्न 04 बजे विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष एवं निविदा कर्ताओं की उपस्थिति में परिसर विकास कार्यालय में खोली जाएगी।
  14. कायदेश प्राप्त कर्ता को भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार के श्रम कानूनों, बाल मजदूरी कानूनों, पुलिस एवं आर.टी.ओ. आदि के लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  15. कायदेश प्राप्त निविदाकर्ता को वाहन चालक एवं श्रमिक का बीमा कराकर एक सप्ताह के अंदर दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  16. प्रत्येक बार पानी लाते समय ड्राइवर व उसके साथ वाला सहयोगी आदमी एवं सुरक्षा कर्मी हर बार रजिस्टर पर इंट्री कर हस्ताक्षर करेंगे तथा समय भी दर्ज करेंगे। इसे सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
  17. यदि किसी कारणवश कायदेश प्राप्त निविदाकर्ता जलापूर्ति करने में विलंब करता है या जलापूर्ति से इंकार करता है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य फर्म या व्यक्ति से जलापूर्ति करायी जाती है। उस पर आने वाला संपूर्ण व्यय कायदेश प्राप्त निविदाकर्ता को ही करना होगा।
  18. निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की वैधता अनुबंध की अवधि तक के लिए वैधानिक होना आवश्यक है, जिससे कार्य संपन्न होने में कोई बाधा या अवरोध न रहे।
  19. उक्त किसी भी शर्त में परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण करने एवं निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
  20. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- नोट:-** निविदाकर्ता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।